न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 10/2013 (2013/00192)

01. बीरमदेव सिह राजपूत पुत्र अभयसिंह राजपूत निवासी ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

———प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

01. कालूराम पुत्र कजोड़ कुमावत
02. शंकर पुत्र रंगलाल कुमावत
03. सुखदेव पुत्र लादू कुमावत ग्राम नयागांव कुमावतों का तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम

–:: आदेश ::–

दिनांक 25/01/202[illegible]

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बघेरा के खसरां नं 73 रकबा 1.82है0 नहरी 2 वादीगण के खातेदारी की है इस आराजी में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नं 75 रकबा 2.3700है0 प्रतिवादी सं 1 लगायत 3 की खातेदारी मे से होकर बना हुआ ह इस रास्ते को प्रार्थी चौडा करवाने का आशय रकता है इसके लिए नियमानुसार प्रतिकर राशि दिये जाने हेतु तैयार और तत्पर है प्रकरण श्रवणाधिकार [illegible] क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी करने अनुपस्थित रहे अतः उनके खिलाफ एकतरफा कारवाही अमल मे लाई जाती है तहसीलदार केकडी से रिपोर्ट तलब कि गई खातेदारी भूमि खसरा नं 73 रकबा 4है0 किस्म बारानी 3 जो कि वादीगण के खातेदारी मे दर्ज है जिसमे आने जाने हतु रास्ता चाहा गया है वर्तमान मे प्रार्थीगण खेत मे आने जाने के लिए खसरा न 75 रकबा 2.37 कि पश्चिम मेड से खसरा नं चरागाह 5477/6 मे होकर पहुच मार्ग पर प्रवेश करते है प्रार्थी के खेत के निकटतम दूरी से प्रार्थीगण का कौनसा रास्ता कटानी पडेगा यह देखना है प्रस्तावित रास्ते से आसानी रहेगी प्रार्थी के वर्तमान [illegible] आवागमन हेतु कोई वेकल्पिक रास्ता नही है खसरा न 5477/6 रकबा 147.15 मे से 120मी लंबा तथा 6 मीटर चौडा कुल 720मी एव खसरा न 75 रकबा 2.37 पश्चिमी मेड से 6मी चौडा 60मी लंबा कुल 360 कुल योग 1080मी जिसकी डी.एल.सी दर से किमत 450846प्रति हैक्टर से दुगनी किमत 97272 होती है रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि चारागाह होने से लागू नही है सिवायचक भूमि से ही रास्ते की गणना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेज एव तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार खसरा न. 75 रकबा 2.37 पश्चिम मेड से 6 मीटर चौडा 60 मीटर लम्बा कुल 360वर्ग मीटर भूमि जिसकी डी.एल.सी दर से किमत नियमानुसार सिंचित भूमि सडक के पास 450846 प्रति हैक्टर से दुगना किमत नियमानुसार गणना करके राजकोष मे जमा कराने पर उक्त रास्ते की सिवायचक भूमि को सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावे तथा खसरा न 5477/6 रकबा 147.15है0 मे से लबा 120 मी तथा चौडा 6मी कुल 720मी चरागाह होने से रास्ते के रूप मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है तथा उक्त सार्वजनिक रास्ते के रूप मे राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे मे तरमीम कि जावे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:35:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner